न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 165/14 निर्णय दिनांकः– 04-03-2025
(जीसीएमएस संख्या 2014/00072)

1. नानूराम खोलायत पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी जासासर तहसील जिला चुरू हाल आबाद चक 4 डीएसएम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. मनफूलराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी खारबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04–12–2009
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः–
1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 04–12–2009 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का बतौर विशेष आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 4 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 209/16 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट् के पिता को बतौर भूमिहीन आवंटन दिनांक 15–02–1984 को किया गया था तथा आवंटन पश्चात् दिनांक 30–08–1984 को ही वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अपीलांट् के पिता को विधिवत आवंटित एवं कब्जेशुदा भूमि रही है। इस प्रकार अपीलांट के आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के बाबत् मौके व रिकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलांट् की आक्यूपाईड एवं आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। ऐसीस्थिति में उक्त भूमि अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड होने से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं होने पर भी अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन विधि विरूद्व तरीके से किया गया है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को पूर्व से ही आवंटित थी ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन विशेष आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया विशेष आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने मियाद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को किया गया आवंटन अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट् को आवंटित एवं आक्यूपाईड लैण्ड रही है, ऐसीस्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश में मियाद अधिनियम बाधक नहीं होने से अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपीलांट् की अपील अन्दर मियाद शुमार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2009 पेज 792 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 4 डीएसएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 209/16 तादादी 23 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियमों के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के अपीलांट का प्रश्न है, अपीलांट को उक्त भूमि अपीलांट् द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किये जाने व आराजी जैर राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड रही है। अपीलांट् का आवंटन मात्र कागजी आवंटन रहा है। अपीलांट द्वारा अपने आवंटन के पश्चात् इतनी लम्बी अवधि तक अपने अधिकारो के प्रति सावचेत नहीं रहने व वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने पर ही उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए तमाम अधिकार प्राप्त हो चुके है। लिहाजा अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मियाद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का आवंटन की दिनांक से कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा अपीलांट् को रेस्पोडेन्ट् के आवंटन की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करने हेतु अंकित कारण संतोषजनक कारण नहीं होने के कारण अपीलांट् की अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–12–2009 के विरूद्व अपील दिनांक 15–07–2014 को पेश करते हुए अपील के साथ मियाद प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार करने की मांग की गई है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् को पूर्ववर्ती रूप से आवंटित भूमि रही है, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पश्चात्वर्ती आवंटन अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश में मियाद अधिनियम बाधक नहीं होने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपीलांट् की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रकरण में सर्वप्रथम जहॉ तक अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के आवंटन का प्रश्न है, प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन होने का कथन करते हुए अपील प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 05–02–1984 को किया जाकर आवंटन पट्टा जारी करते हुए कब्जा देने का प्रमाण पत्र भी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि कब्जा आवंटिती स्वंय को रूबरू

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मौतबिरान दिनांक 30–08–1984 को दिया जा चुका है तथा संबंधित पटवारी हल्का द्वारा उक्त प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित है। जिससे यह प्रथम दृष्टया जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि बतौर भूमिहीन अपीलांट् के पिता को विधिवत् आवंटित भूमि रही है तथा आराजी जैर का कब्जा भी सुपुर्द किया जा चुका था। प्रकरण में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 04–05–2017 का भी अवलोकन किया गया। उक्त आदेश में अभिलिखित किया गया है कि आवंटित भूमि राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित है व प्रार्थी द्वारा राजस्थान राजपत्र 1999 की दर से समस्त राशि एकमुश्त खजानाराज में जमा करवा दी है तथा इसी अनुरूप रिकार्ड में अपीलांट् का नाम विशेष आवंटी के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में अपीलांट् के पिता को विधिवत आवंटित भूमि रही है तथा कालान्तर में अपीलांट् द्वारा आराजी जैर के विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त विशेष आवंटन की दर से राशि भी खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। इसप्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट् द्वारा तमाम कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में उपरोक्त कार्यवाही के दरगुजर वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने के आधार पर आराजी जैर के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रकिया को अपनाते हुए आराजी जैर चक 4 डीएसएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 209/16 तादादी 23 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 13 ए के अनुसरण में वादग्रस्त भूमि के आवंटन की पात्रता की जॉच करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि शुद्व रकबाराज होने के आधार पर आराजीराज का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर विशेष आवंटन किया गया है तथा आवंटन पश्चात् 35 प्रतिशत राशि 60375/– जरिये चालान खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन के संबंध में भी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण में इसप्रकार वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जाहिर है तथा दोनों ही पक्षकारों द्वारा आराजी जैर के बाबत् निर्धारित राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ मांग की गई है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट् का पूर्ववर्ती आवंटन रहा है तथा आवंटन के बाबत् तमाम राशि जमा करवाते हुए अपने अधिकारों को सुरक्षित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् के आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट को भी आवंटन अधिकारी द्वारा तमाम प्रकिया पूर्ण करने के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। प्रकरण में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही राजस्व रिकार्ड में इस आश्य का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं दिया जा सकता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है व वर्तमान में वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के कारण व वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट का आवंटन खारिज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन दिनांक 04–12–2009 निरस्त किया जाता है व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को निर्देशित किया जाना उचित पाते है कि वे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटित करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05-03-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर